

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक— 1185 / 33-1 / दिनांक, अक्टूबर 18, 2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:— जनपद जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे० एवं 0.75 हे० आरक्षित वन भूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधे क पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधे के पातन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Water/ 155109/2022

संदर्भ— 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक—1374/11—सी—FB/UP/Water/155109/2022 दिनांक 14.10.2022
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई का पत्रांक— 649/33-1, दिनांक — 15.10.2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपरेक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उरई ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 15.10.2022 द्वारा निराकरण कर संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं जिनका इस कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक— संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय


वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या— / समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, उरई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी